मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को उनके स्थापना दिवस (21 जनवरी) पर शुभकामनाएँ दीं।

स्थापना दिवस का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?

- **मणिपुर का विलय:** वर्ष 1947 से पहले मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत थी। **महाराजा बोधचंद्र सिंह** ने भारत सरकार के साथ 'परिग्रहण के साधन (Instrument of Accession)' पर हस्ताक्षर किये, जिसमें आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत में विलय पर सहमति व्यक्त की गई।
  - मणिपुर में **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव वर्ष 1948** में हुआ और यह एक **संवैधानिक राजतंत्र** बन गया।
  - वर्ष 1949 में भारत सरकार के दबाव में **महाराजा ने** मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किये बिना **विलय समझौते पर हस्ताक्षर** कर दिये।
    - विलय के बाद, मणिपुर की राज्य विधानसभा भंग कर दी गई, और यह **भाग C राज्य** बन गया, जिसका **प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल** के माध्यम से किया जाता था।
  - 1 नवंबर 1956 को मणिपुर **संघ राज्यक्षेत्र परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक केंद्र शासित प्रदेश** बन गया। बाद में 21 जनवरी 1972 को **पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (NEA-(R) अधिनियम)** के माध्यम से मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्रदान किया गया।
- **त्रिपुरा का विलय:** त्रिपुरा एक रियासत थी, जिसका वर्ष 1949 में भारत में विलय हुआ, जिसकी अनुमति **रानी कंचन प्रभा देवी** ने दी, जिन्होंने **राजा बीर बिक्रम** की मृत्यु के बाद शासन संभाला था।
  - भारत में विलय के बाद **त्रिपुरा भाग 'C' राज्य** बन गया। वर्ष 1956 में यह **केंद्र शासित प्रदेश** बन गया और बाद में 21 जनवरी 1972 को **NEA- (R) अधिनियम, 1971** के तहत त्रिपुरा एक पूर्ण राज्य बन गया।
- **मेघालय:** मेघालय की राज्य की यात्रा **असम**, विशेष रूप से **खासी, जैंतिया और गारो हिल्स** की ओर से **अधिक स्वायत्तता की मांग** के साथ शुरू हुई, जो स्वदेशी संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिये एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। यह मेघालय के राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत थी।
  - **वर्ष 1969 में असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम द्वारा मेघालय को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की गयी।**
  - तत्पश्चात, NEA (R) अधिनियम, 1971 ने मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्रदान किया, जिससे यह भारत का 21 वाँ राज्य बन गया, जिसकी राजधानी शिलांग थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971

- **मणिपुर और त्रिपुरा:** केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्ण राज्यों के रूप में उन्नयन किया गया।
- **मेघालय:** असम के स्वायत्त क्षेत्रों से एक राज्य के रूप में गठित।
- **मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश:** केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित।
- **विधानमंडल में प्रतिनिधित्व:** नए पूर्वोत्तर राज्यों के लिये **राज्य परिषद** (राज्यसभा) और **लोकसभा** (लोकसभा) में सीटें आवंटित की गईं।
  - विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।
- **न्यायिक पुनर्गठन:** असम, नगालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिये सामान्य उच्च न्यायालय के रूप में **गुवाहटी उच्च न्यायालय** की स्थापना की गई।

भारत में राज्यों का पुनर्गठन

वर्ष 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन का सुझाव दिया था।
वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

1950 राज्यों को **4 श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया - **भाग A, B, C और D** (प्रथम अनुसूची)

- **भाग A- निर्वाचित राज्य विधानमंडल**, जो **राज्यपाल** द्वारा शासित होंगे
  - **आंध्रप्रदेश** (भाषायी आधार पर गठित पहला राज्य)- **1953**
- **भाग B-** पूर्व **रियासतें**
- **भाग C-** पूर्व **मुख्य आयुक्तों** के प्रांत, कुछ **रियासतें**
- **भाग D-** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

7वाँ संविधान संशोधन (1956)

- भाग-A और भाग-B के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया
- भाग-C के राज्यों को समाप्त कर दिया गया
- (पूर्ववर्ती) राज्यों की कुल संख्या 14 और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 6 है

वर्ष 1956 के पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन/निर्माण

अन्य राज्यों से अलग हुए राज्य

- बॉम्बे से **गुजरात** और **महाराष्ट्र** (बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960)
- असम से **नगालैंड** (नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962)
- पंजाब से **हरियाणा** (पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966)
- असम से **मेघालय** (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- मध्यप्रदेश से **छत्तीसगढ़** (मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- उत्तर प्रदेश से **उत्तराखंड** (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- बिहार से **झारखण्ड** (बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- आंध्र प्रदेश से **तेलंगाना** (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014)

राज्य का दर्जा देने के पश्चात् गठित राज्य

- **हिमाचल प्रदेश** (हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970)
- **मणिपुर** और **त्रिपुरा** (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- **सिक्किम** (36वाँ संविधान संशोधन (1975))
- **मिज़ोरम** (मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986)
- **अरुणाचल प्रदेश** (अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986)
- **गोवा** (गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987)

केंद्रशासित प्रदेशों का गठन

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप - 1956
- पुदुचेरी - 1962
- चंडीगढ़ - 1966
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - 2019
- दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव - 2020

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/statehood-day-for-manipur,-tripura,-and-meghalaya